न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 02/2014

1. बन्नी देवी पुत्री दल्ला
2. शांति देवी पुत्री दल्ला
3. अन्नी देवी पुत्री दल्ला
4. छोटी देवी पुत्री दल्ला
5. गंगा देवी पुत्री दल्ला
6. जमनी दवी पुत्री दल्ला

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम बूबानी, तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहनलाल साबू पुत्र कन्हैयालाल साबू, जाति माहेश्वरी, मेनेजिंग डायरेक्टर सेबको एमरी स्टोन एण्ड इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, मदार, अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय अजमेर, जिला अजमेर।
3. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री मोहम्मद इकबाल — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अजीत सिंह राठौड — अभिभाषक रेस्पोडेंन्ट 1
3. श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर तहसील

आदेश

दिनांक :–16.12.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आराजीयात ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसके रिकार्डेड खातेदार दल्ला वल्द चतरा कोम रावत थे। जिसका आराजी खसरा नम्बर पुराना 228 रकबा 12 बीघा है। उपरोक्त आराजीयात पर रिकार्डेड खातेदार दल्ला पुत्र चतरा की मृत्यु के पश्चात सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर के द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 दर्ज किया गया, जिसमें दल्ला पुत्र चतरा का एक मात्र वारिस उनकी पत्नी लाली बैवा दल्ला को दर्शाया गया, जबकि उपरोक्त आराजीयात में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 का भी हिस्सा है क्योंकि अपीलान्ट मृतक दल्ला पुत्र चतरा की जाईन्दा पुत्रीयां है, जिससे उपरोक्त आराजीयात में प्रत्येक अपीलान्ट का 1/7 हिस्सा बनता है, परन्तु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 दर्ज कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट 1 की ओर से श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट 2 व 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश गुर्जर पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की अपीलान्ट को नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है, जिससे अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है और क्योंकि अपीलाधीन आवंटन प्रार्थीगण की गैर हाजरी में हुआ है इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है। अतः धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को व्यथित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट का कंभी भी प्रकरण में वर्णित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अतः प्रकरण में अपीलांट्स हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी कभी भी अपीलान्ट को नहीं हुई क्योंकि आज भी अपीलान्ट अपीलाधीन आराजीयात पर काबिज काश्त है, परन्तु जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात पर अपीलान्ट को बैदखल करने का प्रयास किया गया तो अपीलान्ट को उपरोक्त नामान्तकरणों की जानकारी हुई। जिसके पश्चात दिनांक 28.11.2013 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 11.12.2013 को नकल प्राप्त हुई। जिससे जानकारी से अन्दर अवधि अपील तैयार करवाकर मय शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है तथा साथ जैसा कि 1993 आर.आर.डी पृष्ठ संख्या 411 अंकित किया गया है कि अविधिक निर्णयों पर मयाद का कानून लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील का निर्णय मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त कारणो से अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा फरमाकर अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाने का आदेश प्रदान करे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकॉर्ड का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट अभिभाषक ने दौराने बहस अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात ग्राम बुबानी, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसके रिकॉर्डेड खातेदार दल्ला वल्द चतरा कोम रावत थे।

जिला कलक्टर
अजमेर

जिसका आराजी खसरा नम्बर पुराना 228 रकबा 12 बीघा है। उपरोक्त आराजीयात पर रिकॉर्डेड खातेदार दल्ला पुत्र चतरा की मृत्यु के पश्चात सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर के द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 दर्ज किया गया, जिसमें दल्ला पुत्र चतरा का एक मात्र वारिस उनकी पत्नी लाली बेवा दल्ला को दर्शाया गया, जबकि उपरोक्त आराजीयात में अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 का भी हिस्सा है क्योंकि अपीलान्ट मृतक दल्ला पुत्र चतरा की जाईन्दा पुत्रीयां है, जिससे उपरोक्त आराजीयात में प्रत्येक अपीलान्ट का 1/7 हिस्सा बनता है, परन्तु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05. 1997 दर्ज कर दिया गया । जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमान् भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 न्याय, नियम एवं विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 में यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात कॉलम संख्या 7 में दल्ला पुत्र चतरा की विरासत लाली बेवा दल्ला के नाम दर्ज जबकि उपरोक्त समय भी अपीलान्ट दल्ला पुत्र चतरा की जाईन्दा पुत्रीयां होने के नातें विरासत में अधिकार रखती थी। जिसके अनुसार प्रत्येक अपीलान्ट व माता का हिस्सा 1/7 बनता था, परन्तु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय अजमेर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 मात्र अपीलान्ट की माता के नाम दर्ज कर दिया, जो काबिल निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 दर्ज करवाने के पश्चात मु. लाली बेवा दल्ला के द्वारा खसरा नम्बर 228 का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया, जबकि उपरोक्त आराजीयात में लाली बेवा दल्ला का 1/7 हिस्सा ही बनता था। ऐसी स्थिति में वह केवल 1/7 हिस्से का ही बैचान कर सकती थी। जिससे उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 काबिल खारिज योग्य है। अपीलाधीन आराजीयात दल्ला पुत्र चतरा की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात रही है, जो कि अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों से सिद्व है तथा सजरा प्रमाण पत्र से यह पूर्ण रूप से यह सिद्व है कि अपीलान्ट दल्ला पुत्र चतरा की जाईन्दा पुत्रीयां है। ऐसी स्थिति में वरवक्त तस्दीक किये जाने नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जिससे नामान्तकरण काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

रेस्पोडेन्ट 1 अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमावे।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम बूबानी तहसील अजमेर के नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 के खातेदार के फौत होने पर उसके सभी वारिसानों की जांच किए बगैर अपीलाधीन नामा. सं. 191 दिनांक 31.05.1997 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्व पारित किया है जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रावधानों को दृष्टिगत नहीं रखा है। संरपच ग्राम पंचायत बूबानी पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प. बूबानी/SP2/2013–14 दिनांक 14.08.2013 के अनुसार अपीलान्ट मृतक खातेदार दल्ला पुत्र चतरा के वारिस लाली देवी (पत्नी), एवं बन्नी देवी, शान्ति देवी, जमनादेवी, गंगादेवी, अन्नी देवी, छोटी देवी पुत्रियॉ दर्शायी हैं पुत्रियों का भी हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होने से तथा आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट की पुत्रियों का नाम शामिल नहीं करने की सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 31.05.1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार दल्ला पुत्र चतरा के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर